प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1186 /स्था0–3/134(661) दिनांक– 2/7/19

महोदय,

शासनादेश संख्या–1238/37–1–2015–7(52)/2014 दिनांक–16 मार्च, 2015 द्वारा जारी पशु चिकित्सा संवर्ग के जाब चार्ट में मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/संयुक्त निदेशक के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जिसमें अपर निदेशक ग्रेड–2 द्वारा संस्थाओं पर भ्रमण के समय निम्न कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं:–

1– पशुपालन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना तथा सुनिश्चित करना कि विभिन्न कियान्वित योजनाओं का लाभ त्वरित एवं प्रभावशाली ढंग से पशुपालकों को प्राप्त हो रहा है।

2– यह सुनिश्चित करना कि संस्था पर विभिन्न सामग्री, उपकरण वाहन कार्यशील एवं पशुधन संतोषजनक अवस्था में हो।

3– यह सुनिश्चित करना कि वर्षभर के लिए क्रय किये गये भण्डार में गुणवत्ता, दवा, चारा, चाराबीज पर्याप्त मात्रा में है जो गुणवत्ता हों एवं न्यूनतम दर पर क्रय किये गये हैं।

4– पशुओं में विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

5– पशुपालन की विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि का हस्तांतरण एवं भव निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करना, आ रही कठिनाईयों को दूर करने के विषय में आवश्यक सहायता प्रदान करना।

6– विकासखण्ड स्तरीय एन0ए0डी0आर0एस0 मोड से सूचना सम्प्रेष्ण कार्य ठीक ढंग से नियमित हो रहा है, का अनुश्रवण कर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

7– सनिश्चित करना कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है एवं निरीक्षण आख्या उनको नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

8– अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले भ्रमण व्यवस्थित ढंग से किये जा रहे हैं, यदि कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उन्हें आवश्यक सुझाव देंगे। गार्ड फाईल में सभी शासनादेश एवं सर्कुलर व्यवस्थित रूप से इन्डेक्स सीट के अनुसार दिनांकवार सुरक्षित रखे गये हैं।

9– मण्डल अन्तर्गत समस्त कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के समस्त सेवा सम्बन्धी प्रकरणों को समय से निस्तारित करेंगे।

10– मण्डल अन्तर्गत दाखिल वादों में सघन एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे।

11– सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में समस्त कर्मचारी जिनका कार्यकाल एक वर्ष से अधिक हो गया है उनके सामान्य भविष्य निधि में कटौती नियमित रूप से हो रही है।

12– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की नियमित कटौती के अभिलेखों का रख–रखाव उचित रूप से किया जा रहा है।

13– क्षेत्र विशेष में होने वाली बीमारी/पशुधन से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु योजना तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

14– मण्डल के अधीन आने वाली समस्त विभागीय संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रक्षेत्र, प्रयोगशालाओं आदि में निरीक्षण करेंगे, यदि समस्या/त्रुटि पायी जाती है तो उसके समाधान हेतु उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों/संयुक्त निदेशकों को जनपद में स्थित संस्थाओं के निरीक्षण के सम्बन्ध निम्न दायित्व दिये गये हैं:–

(क) **उत्पादन केन्द्रः**– 1–वह जिले में स्थित पशुधन विकास के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों का प्रत्येक माह भ्रमण कर उनके कार्यो की प्रगति का मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र का लक्ष्य निर्धारित कर उसी पूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।

2– उत्पादन केन्द्रों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए तद्नुसार मण्डलीय अधिकारी/अपर निदेशक ग्रेड–2 को सूचित करेंगे।

(ख) **पशु चिकित्सालय स्तर**–1– जिले के समस्त पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, कुक्कुट प्रसार केन्द्र, मेढ़ा केन्द्र, कृ0ग0 केन्द्र आदि का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थाओं पर पर्याप्त औषधियां, वैक्सीन एवं उपकरण उपलब्ध हो एवं उनका प्रिसकिप्शन के अनुसार उचित उपयोग सुनिश्चित हो रहा है यदि किसी संस्था पर कोई कमी परिलक्षित होती है तो तदनुसार संस्था प्रभारी को निर्देशित कर। चिकित्सा के अनुसार औषधियों का उपयोग रख–रखाव और उन औषधियों/उपकरणों का लेखा सही तरीके से रखा जा रहा है।

2– आपूर्ति हेतु मांगपत्र वर्तमान अवशेष को दृष्टिगत रखते हुए सावधानी पूर्वक समय से बनाना सुनिश्चित करे, ताकि आपूर्ति प्राप्ति करने एवं उनके वितरण करने में विलम्ब न हो जैसे दवा, उपकरण, सांड, क्षेत्र में वितरण हेतु चारा एवं दाना, बीज, अण्डा एवं मुर्गी इत्यादि।

3– संस्थाओं पर भ्रमण के समय क्षेत्र में वितरित/रखे गये पशुधन का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित कराना कि उनका रख–रखाव उचित रूप से किया जा रहा है।

4– विभागीय योजनाओं का कियान्वयन, निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

5– विभागीय संस्थाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना।

6– विभागीय कार्यो के कियान्वयन के समय आने वाली कठिनाइयों को अपने अधिकारों के अन्तर्गत उनका निराकरण करना। यअपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रमों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करना की भ्रमण उनके द्वारा दिये गये निर्देशों

के अनुरूप विशिष्ट कार्यो के लिए किये गये हैं एवं उनके कार्यक्षेत्रों में अधिक से अधिक क्षेत्र आच्छादित किया गया है।

शासन के उक्त आदेशों के अनुपालन में माह अप्रैल 2019 से मई 2019 तक अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा 04, गोरखपुर मण्डल, द्वारा 05, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा 08, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा 06, आजमगढ मण्डल, आजमगढ द्वारा 09, अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा द्वारा 07, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा 14, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा 08, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर द्वारा 08, निरीक्षण किये गये है। इसी प्रकार मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत द्वारा 04, सुल्तानपुर द्वारा 06, जौनपुर द्वारा 14 निरीक्षण किये गये है। शेष अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं का निरीक्षण नहीं किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं का नियमानुसार निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जो राजकीय कार्यो के प्रति उदासीनता एवं शासनादेशों, उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। अतः शासनादेश संख्या–1238/37–1–2015–7(52)/2014 दिनांक–16 मार्च, 2015 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं का माह में समय–समय पर निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं का समग्र/स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय/जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इसमे किसी भी प्रकार की शिथिलता हेतु आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेगें।

भवदीय

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्या– /स्था0–3/134(661) दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।